

प्रेस नोट दिनांक 30.07.2022

प्रभारी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मु0अ0सं0 780/11 धारा 363,366,377 भादवि0 व धारा 3(2)(V) एससी0/एसटी0 एक्ट में प्रभावी कार्यवाही करते हुए, आपरेशन शिकंजा अभियान के अंतर्गत अभियुक्त को 18 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/-रुपए अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

श्री अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन गोरखपुर उ0 प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन शिकंजा के अन्तर्गत मुअसं0 780/11 अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र राममिलन साकिन गोपालपुर थाना शोहरतगढ़ जपद सिद्धार्थनगर, वाद संख्या 5/12 जो श्री भानु प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष बांसी द्वारा पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था। जिसमें अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध विवेचक द्वारा धारा 363,366,377 भादवि0 व धारा 3(2)(V) एससी0/एसटी0 एक्ट में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसमें मा0 न्यायालय एससी0/एसटी0 सिद्धार्थनगर द्वारा अभियोजन पक्ष के श्री अजय पॉल, एसपीओ0 के संवाद पर आज दिनांक -30-07-2022 को धारा 363 भादवि0 में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/-रु० अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि0 में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रु० अर्थदण्ड से एवं धारा 376 भादवि0 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया सभी सजाएँ साथ-साथ चलेगी। इस प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को 18 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/-रु० अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

**विशेष :- अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 माह का अतिरिक्त कारावास का भी प्राविधान दण्ड में किया गया है।**

### प्रेस नोट थाना मिश्रौलिया

श्री अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर की प्रेरणा से श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय क्षेत्राधिकारी इटवा द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत थाना मिश्रौलिया के कस्बा बढ़या के मुख्य चौराहे पर जन सहयोग से लगाये गये सीसीटीवी कैमरा का आज दिनांक 30-07-2022 को उदघाटन किया गया।

उक्त सीसीटीवी कैमरा में 4 मेगापिक्सल का चार आई0पी0 कैमरा, 45 दिवस रिकार्डिंग हेतु 2 टेरा बाइट का साटा हार्ड डिस्क, मोबाइल सिम सहित इण्टरनेट डिवाइस, पावर स्पोर्ट हेतु इनवर्टर कनेक्शन लगा हुआ है। उक्त कैमरे के माध्यम से चौराहे के गतिविधियों पर थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के मोबाइल सहित 3 अन्य व्यक्तियों के मोबाइल पर निगरानी की जा सकती है।

श्री मोहम्मद खालिद, श्री मोहम्मद परवेज, ग्राम बढ़या प्रधान श्री जमाल, ग्राम प्रधान टेउवा ग्रान्ट श्री हाजी जुमैर अहमद, रवि वर्मा एवं थाना मिश्रौलिया के उ0नि0 अमित शाही, उ0 नि0 विजय कुमार गौतम, हे0का0 कपिल बौद्ध व हे0का0 खुशीलाल शर्मा का कैमरा लगवाने में विशेष योगदान रहा।

उदघाटन के समय श्री घनश्याम सिंह, थानाध्यक्ष, उ0नि0 श्री अमित शाही, उ0नि0 विजय कुमार गौतम, का0 अजययादव सहित थाना मिश्रौलिया अन्य पुलिस कर्मी एवं चौराहे के काफी संख्या में व्यवसायी मौहम्मद अनिश, मुन्ना, अरशद जमाल, पप्पू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।

**प्रेस नोट- थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 30.07.2022**

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा थाना कोतवाली बांसी परिसर में अर्दली रुम किया गया। जिसमें उपस्थित समस्त उ0नि0 गण को लम्बित विवेचनाओ के शीघ्र निस्तारण हेतु आदेश- निर्देश दिया गया।

**प्रेस नोट- थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 30.07.2022**

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक श्री सौदागर राय के नेतृत्व में थाना कठेला समय माता व मय फोर्स थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर\* के द्वारा आज दिनांक 30.07.2022को सुरक्षा व्यवस्था व ऑपरेशन त्रिनेत्र के दृष्टिगत कठेला कोठी चौराहे व कठेला बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों को लगवाया गया